actually received the benefit under the particular scheme or not. So, this is the inbuilt system. Nevertheless, we are working to improve upon that system.

MR. CHAIRMAN: Question 202.

आंगनवाड़ी में दिया जा रहा आहार

†*202. **श्री जय प्रकाश** : क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि वर्तमान रफ्तार से बढ़ रही महंगाई को देखते हुए आंगनवाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले पूरक आहार की प्रतिदिन दी जाने वाली राशि बढ़ाना अनिवार्य हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले माह नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रियों के सम्मेलन में इस संबंध में कोई चर्चा हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ करने, बच्चों को पूरक पोषाहार के लिए दिए जाने वाले धन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारत सरकार ने पूरक पोषण के मानक पिछली बार वर्ष 2008-09 में संशोधित किए थे। संशोधित मानकों के अनुसार 6-72 माह की आयु के बच्चों के लिए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 4.00/- रुपये, 6-72 माह की आयु के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 6.00/- रुपये और गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं के लिए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 5.00/- रुपये निर्धारित हैं।

महिला एवं बाल विकास प्रभारी राज्य मंत्रियों के 28 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए सम्मेलन में कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने पूरक पोषण मानकों में वृद्धि किए जाने और इन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने की आवश्यकता जताई।

सरकार का आईसीडीएस के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ लागत को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किए जाने, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को अपना दूध पिलाने वाली माताओं और 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिशुओं और छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों पर

†Original notice of the question was received in Hindi.

विशेष ध्यान दिए जाने, विशेषरूप से जिला एवं ग्राम स्तरों पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ पुरजोर संस्थागत संकेन्द्रण, सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थानीय स्तरों पर लचीलापन लाने के लिए मॉडलों के विकास के प्रावधान शामिल होंगे।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को दिए जा रहे मानदेय में 500/-रुपये प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों को दिए जा रहे मानदेय में 250/- रुपये प्रतिमाह की वृद्धि 1.4.2008 से की गई थी। वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 1500 से लेकर 3000/- रुपये प्रतिमाह एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 750/- रुपये से लेकर 1500/- रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि की घोषणा की है। यह अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगी।

Food served in Anganwadi

†*202. SHRI JAI PRAKASH: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government admits that keeping in view the present pace of rising inflation, there is need to increase the amount for supplementary food to be served every day to the children in anganwadi;

(b) if so, whether any discussion took place on this issue in the conference of the Ministers of Women and Child Development of States organized in New Delhi last month;

(c) if so, whether Government proposes to strengthen Integrated Child Development Scheme and to increase the amount to be given to children for supplementary nutrients and to the anganwadi workers honorarium; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The norms for Supplementary Nutrition were earlier revised by the Government of India in 2008-09. As per the revised norms, Rs.4/- per beneficiary, per day, is prescribed for children

†Original notice of the question was received in Hindi.

of 6-72 months, Rs.6/- per beneficiary, per day, for severely malnourished children (6-72 months) and Rs.5/- per beneficiary, per day, for pregnant and nursing mothers.

During the Conference of the State Ministers in-charge of women and child development, held on 28 January, 2011 at New Delhi, several States/UTs expressed the need for enhanced rate and for indexation of the cost of supplementary food norms with the Consumer Price Index (CPI).

The Government proposes to strengthen and restructure the ICDS. This will, inter-alia, include indexation of cost with CPI, special focus on pregnant and lactating mothers and children under 3 years for care during pregnancy and Infant and Young Child Feeding (IYCF) Practices, strong institutional convergence with National Rural Health Mission and Total Sanitation Campaign, particularly, at the district and village levels and development of models for providing flexibility at local levels for community participation.

The honoraria of Anganwadi Workers had been enhanced by Rs.500/- per month on the last honorarium drawn by them and that of Anganwadi Helpers and Workers of Mini-Anganwadi Centres by Rs.250/- per month *w.e.f.* 1.4.2008. Further enhancement has been announced by the Finance Minister in the Budget Speech of 2011-12 increasing the honoraria of Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers from Rs.1500/- per month to Rs.3000/- per month and Rs.750/- per month to Rs.1500/- per month respectively. This will become effective from April 2011.

श्री जय प्रकाश: सभापति महोदय, जो आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं, उनकी बड़ी बदतर स्थिति है। लगभग 70 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं और कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घरों में चल रहे हैं। उनको यह भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि जो शिशुओं के लिए बर्तन होते हैं, वे मुहैया कराये जायेंगे या नहीं कराये जायेंगे। उनको खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं दिए जाते हैं। उनके लिए ईंधन की व्यवस्था कैसे होगी, इस संबंध में भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। उनको जो राशन मुहैया कराया जाता है, उसके प्रति सभी की चिंता बनी रहती है, हमारे माननीय सदस्यों की भी चिंता बनी रहती है। उनके लिए राशन जाता है, गोदाम में पड़ा रहता है और तीन-चार महीने बाद जब वह केन्द्रों पर पहुंचता है तब तक वह सड़ जाता है या कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से जो क्वेश्चन किया था, उसका जवाब उन्होंने साफ नहीं दिया। हमने पूछा था कि आंगनवाड़ी में बच्चों को पूरक आहार देने के लिए जो प्रतिदिन राशि दी जाती है, उसको बढ़ाना अनिवार्य है या नहीं है?

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश: सभापति महोदय, मैं अभी क्वेश्चन पर आ रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में तीन श्रेणियां बताई हैं। प्रतिदिन बच्चों को जो आहार दिया जाता है, उसके लिए 4.00 रुपये, 5.00 रुपये और 6.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। उसमें भी एक श्रेणी के तहत जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, उनको 6.00 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से मानक तय किए गए हैं जिनसे यह तय हो कि कौन कुपोषित बच्चा है और कौन कुपोषित बच्चा नहीं है? वहां पर जो लाभार्थी हैं, उनमें से किसको कितनी राशि प्रतिदिन के हिसाब से मिलनी चाहिए, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। मैंने तो पूछा था कि .....

श्री सभापति: आप सुनिए। आपका सप्लीमेंट्री आपके सवाल से ज्यादा लम्बा है। आप सीधा सवाल पूछिए।

श्री जय प्रकाश: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इसमें राशि बढ़ाना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पर जो बढ़ती हुई महंगाई है, उस हिसाब से राशि को बढ़ायेंगे या नहीं। इसके बारे में, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी कोशिश है कि जो हमारा होलसेल प्राइज इंडेक्स है, उसके हिसाब से राशि को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए राज्यों के मंत्रियों के साथ हाल ही में मीटिंग की गयी थी, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरी बात आपने कही है कि कहीं-कहीं खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं दिए जाते हैं, इसलिए हम इसको एक मिशन मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने बताया कि कितना-कितना ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: There is no point of order in Question Hour.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: माननीय सदस्य ने पूछा है और मैंने बताया है कि आर्डिनरी बच्चे को 4.00 रुपये और जो अतिकुपोषित बच्चा है, उसके लिए 6.00 रुपये और गर्भवती माता तथा दूध पिलाने वाली माताओं के लिए 5.00 रुपये का प्रावधान आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्टेट्स के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की गयी है, उसमें हमने उनको बताया कि रि-स्ट्रक्चरिंग हम आंगनवाड़ी का करने जा रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें रखी जायेंगी।

श्री सभापति: दूसरा क्वेश्चन पूछिए।

श्री प्रकाश जावडेकर: सभापति महोदय.....।

MR. CHAIRMAN: No, please. He is putting his question.

श्री जय प्रकाश: सभापति महोदय, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय सरकार ने बढ़ाया है, उसके लिए मैं मंत्री महोदया को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सहायिकाएं हैं, वे काफी समय से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग करती आ रही हैं। क्या इस संबंध में सरकार उनके प्रति कुछ सोचेगी, जिससे एक मजबूत तंत्र स्थापित किया जा सके?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जवाब देना चाहूंगी कि हम honorarium देते हैं, क्योंकि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पार्ट टाइम हैं। आपने एप्रिशिएट किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और बताना चाहती हूं कि यह राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई है। हमारे तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश की 22 लाख गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो कि गांव-गांव में हैं। आपने परमानेन्ट की बात कही है, तो हम उनको honorarium देते हैं, क्योंकि वे पार्ट-टाइम कार्य करती हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, इसमें एक गलती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: फिर आप क्यों पूछ रहे हैं?

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, मंत्री जी के लिखित उत्तर में है कि CPI के साथ जोड़ा जाएगा और मैडम ने अभी उत्तर देते समय WPI का उल्लेख किया है, तो WPI और CPI में फर्क है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कृष्णा तीरथ: होलसेल प्राइज ज्यादा हैं, इसलिए इसकी बात कही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: नहीं, नहीं CPI ज्यादा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ...(**व्यवधान**)... आपका लिखित उत्तर करेक्ट है। आपने WPI की बात की है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: दोनों में से जोड़कर, जो ठीक लगेगा वह देंगे।

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, the Anganwadi workers' salary amount has been increased I welcome the Government for that. I would like to specifically know from the hon. Minister whether it is a fact that in many States in the country, including Orissa, there are allegations of supply of low or sub-standard food material in Anganwadis, mid-day meal scheme, and in nutrition programme for expected mothers. There is a specific allegation coming from Orissa. There is also an inquiry about it and the Minister has resigned over it. I would like to know whether the hon. Minister has received such complaints. Such sub-standard quality food items create problems and diseases for millions of children and mothers. I would like to know whether she has received such complaints from Orissa State and other States. Since it is funded hundred per cent by the Central Government, what action does the Government propose to take if the allegation is received?

श्री रुद्रनारायण पाणि: पूरा भ्रष्टाचार है। ...(**व्यवधान**)... कहते हैं कि दाल में काला होता है। सर, उड़ीसा की पूरी की पूरी दाल काली है। ...(**व्यवधान**)... सर, 1200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

श्री किशोर कुमार मोहन्ती: सर, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Just one minute, please. ...*(Interruptions)*... Have you been given the floor? No. ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, इसकी CBI से इन्कवायरी कराई जाए। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Pany, why do you want to shout? This is not your question.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य महोदय से कहना चाहती हूं, जैसा कि उन्होंने पूछा है कि क्या उड़ीसा के संबंध में कोई जानकारी मंगाई है? मैंने अखबारों में इसके बारे में पढ़ा है और मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि मिड-डे-मील से संबंधित विभाग मेरे पास नहीं है। मेरे पास आंगनवाड़ी है और उसमें 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे आते हैं। जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, lactating mothers हैं, उनके लिए खाना दिया जाता है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि 2004 तक इसका बोझ राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता था और 2005-06 ये यह हमारे पास आया है। जैसा मैंने पहले बताया है कि 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को चार रुपए, माइनर बच्चों के लिए 6 रुपए और प्रेग्नेंट व lactating mothers के लिए पांच रुपए का प्रावधान है। बाकी जो समान लेता है, वह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी आंगनवाड़ी से कौन सा खाना किसके थ्रू पहुंचाते हैं। कोर्ट के आदेशानुसार self-help ग्रुप, मदर कमेटी या पंचायती राज द्वारा जो गर्म भोजन बनाने का प्रावधान है, वह स्टेटवाइज अलग-अलग है।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, मेरा सवाल मंत्री जी के आखिरी पैराग्राफ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि फायदा हुआ है, लेकिन उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स के काम को पार्ट-टाइम बताया है। सर, वह काम पार्ट टाइम नहीं है, बल्कि फुल टाइम है और वे लोग अन-पेड ओवर टाइम भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार का हर प्रोजेक्ट आंगनवाड़ी के कंधों पर है, इसलिए आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लें।

सर, मिनी आंगनवाड़ी के सेंटर्स अधिकतर tribal areas में हैं और वहां जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स और हैल्पर्स हैं, वे सब अधिकतर आदिवासी औरते हैं। इस समय सरकार का जो मानदेय है, आम तौर पर आदिवासी आंगनवाड़ी हेल्पर को कम मानदेय दिया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। वे कहते हैं कि चूंकि बच्चों की संख्या कम है, इसलिए उस औरत को भी कम दिया जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कि आदिवासी इलाके में दूर-दूर में hamlets हैं, घर हैं। उस औरत को कितनी दूर जाकर बच्चों को घरों से लेकर आना पड़ता है। उनको ज्यादा मिलना चाहिए,

क्योंकि एक आदिवासी औरत इतनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जिस तरह से मानदेय बढ़ाया है, क्या मिनी आंगनवाड़ी में काम करने वाली औरतों के लिए भी, जो अधिकतर आदिवासी और दलित हैं, आप वही मानदेय देंगी, जो अन्य आंगनवाड़ी वर्कर्स को दे रही हैं और इस समय वेतनमान में जो भेदभाव है, क्या आप उसे समाप्त करेंगी?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं यह clear कर दूं कि हमारे रेकार्ड से यह part time है, लेकिन आप जो full time कह रही हैं, जो दूसरे काम उनको दिए जाते हैं, जैसे census के या कोई और काम दिए जाते हैं, उनके लिए उन्हें अलग से पैसा भी दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं सदन में बताना चाहती हूं कि आगे से मैं चाहती हूं कि इसे मिशन मोड में लाकर उन्हें सिर्फ यही काम दिया जाना चाहिए। कोर्ट की direction भी है कि स्कूल टीचर्स तो census का काम कर सकते हैं, लेकिन आंगनवाडी वर्कर को यह काम न दिया जाए।

इन्होंने दूसरा सवाल मिनी आंगनवाड़ी के बारे में पूछा। हां, अगर मानदेय आंगनवाड़ी में 3,000 रुपए है, तो मिनी आंगनवाड़ी में 1,500 रुपए है, लेकिन मेरा अपना भी मानना है कि अगर मिनी आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्ता है, तो हम उनको भी 3,000 रुपए देंगे।

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए मानदेय बढ़ाया है, लेकिन यह मानदेय, 1,500 रुपए से 3,000 रुपए और 750 रुपए से 1,500 रुपए, आज की महंगाई में बहुत कम है। मेरा आपसे निवेदन है कि भविष्य में इसको और अधिक बढ़ाएं, तो अच्छा होगा। आपने पूरे देश में आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले हैं। आपको यह जानकारी भी होगी कि अधिकांश प्रदेशों में जहां-जहां आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वहां भवन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आंगनवाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिलती। यह सबसे बड़ी आवश्यकता की चीज होती है। क्या भविष्य में आप आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए बजट में कोई प्रावधान करेंगी या आपने किसी अन्य मद से आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए कोई प्रावधान रखा है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या ने बहुत अच्छी बात पूछी है। जहां तक मानदेय को 3,000 और 1,500 रुपए बढ़ाने की बात है, मैं एक चीज और बता दूं कि हमने 3,000 रुपए दिए, कुछ-कुछ स्टेट्स में, जैसे दिल्ली में 1,000 रुपए देते हैं, तो उसको मानदेय तकरीबन 4,000 से लेकर 6,000 रुपए तक पड़ेगा।

जहां तक आंगनवाड़ी भवन बनाने की बात है, तो हम आंगनवाड़ी का जो restructuring करने जा रहे हैं, इसमें हमने भवन निर्माण का प्रावधान रखा है, लेकिन चूंकि इसमें समय लगेगा, एकदम जो हमारे 14 लाख

आंगनवाड़ी सेंटर्स sanctioned हैं, उन 14 लाख के लिए एक साथ भवन बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने सभी मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट को पत्र लिखा कि आप अपने एमपीलैड फंड से एक-एक, दो-दो भवन बनाने के लिए पैसे दे दीजिए। इसमें हमारा जो पंचायती राज है, उन जगहों पर भी, लेकिन भविष्य में मेरा मानना यह है कि जब हम इसको मिशन मोड में लाएं, हम उसका पूरा infrastructure तैयार करें। इसमें पक्का आंगनवाड़ी, गर्म खाने के लिए बर्तन और गैस शामिल हैं। इसके लिए हर राज्य को पत्र भी लिखा जा चुका है।

*203. [The questioner Shri Avtar Singh Karimpuri was absent]

Cases reffered to CVC

*203. SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases referred to the Central Vigilance Commission (CVC) for investigation during the last two years and the current year;

(b) the number of cases in which persons have been found guilty and recommended for punishment;

(c) the number of cases where no action has been taken so far; and

(d) the steps taken by Government to speed up the inquiry process in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): (a) to (d) A Statement has been laid on the table of the House.

Statement

(a) The year-wise details of cases referred to the Central Vigilance Commission are as under:

Year	Cases referred to the CVC (including cases brouht forward from last year)	Cases disposed of
2009	6976	5317
2010	6986	5522
2011 (upto January)	1925	380

(b) The number of officers recommended for imposition of punishment by the Commission are: